



प्रवेश विवरणिका सत्र 2022-23

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ओबरा, सोनभद्र, उ०प्र०

सम्बद्ध: महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ०प्र०



www.gpgcobra.ac.in

प्राचार्य की कलम से

नव सत्रारम्भ पर मैं जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों, अभिभावकों, छात्र / छात्राओं, महाविद्यालय के प्राध्यापकों और कर्मचारियों का स्वागत, अभिनन्दन और वन्दन करता हूँ। आप सभी को हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद - विगत सत्र में आपके सहयोग और समर्थन के लिए।

विगत सत्र में अनिच्छा से ही सही कुछ अप्रिय एवं कठोर निर्णय महाविद्यालय एवं छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जनहित में लेने पड़े। प्रशासनिक कारणों से जनहित में ऐसे निर्णय अनिवार्य हो जाते हैं पर, मेरी विवशता को देखते हुए आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा विश्वास है।

मैं इस क्षेत्र की सम्मानित जनता से, जनगणमन से, अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने पाल्य को अपने अनगढ़ बच्चों को महाविद्यालय में **जानने** के लिए नहीं **सीखने** के लिए मेरे पास भेजें। जानने और सीखने की प्रक्रिया में अन्तर है। सीखने के लिए विनम्रता **आवश्यक** है। अनुशासन को अस्वीकार करने वालों के लिए महाविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। यदि अनुशासन और शालीनता स्वीकार न हो तो प्रवेश के लिए आवेदन न करें। इस पर कोई भी समझौता किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता।

यह निवेदन करना भी अपना कर्म समझता हूँ कि यह महाविद्यालय राजकीय है। इसका नियमन और संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महामहिम राज्यपाल/ कुलाधिपति, उ०प्र०, तथा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उ०प्र० शासन के नियमों / उपनियमों / निर्देशों के अनुसार होता है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज दूसरे स्वत्वाधिकारी एवं संरक्षक है। प्राचार्य का दायित्व अपार पर उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है। कुल 28 प्राध्यापकों के सापेक्ष मात्र 18 प्राध्यापक ही कार्यरत हैं। बजट आदि का व्यवस्था शासन से होती है। नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग उ०प्र० प्रयागराज से होती हैं। महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ भी कम है। ऐसी दशा में महाविद्यालय के संचालन का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। महाविद्यालय का सुव्यवस्थित एवं सुचारु संचालन आपके सहयोग और सम्बल के बिना असम्भव है। हमारे पास साधन सीमित हैं। प्राचार्य संसाधनों की माँग कर सकता है, पूर्ति और नियुक्ति नहीं कर सकता है। संसाधनों की कमी और पूर्ति महाविद्यालय स्तर पर किसी भी दशा में प्राचार्य स्तर पर सम्भव नहीं है। इन सभी स्थितियों को संज्ञान में रखकर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें। नियुक्ति एवं संसाधनों की पूर्ति के सम्बन्ध में, मैं आपको महाविद्यालय स्तर से कोई आश्वासन नहीं दे सकता, मैं केवल शासन से अनुरोध कर सकता हूँ। संसाधन जुटाना शासन का कार्य एवं दायित्व है।

सीमित संसाधनों के साथ तथा सीमित शक्तियों के साथ नियमों से महाविद्यालय का संचालन, इसको सजाने, सँवारने एवं विकास की ओर ले जाने के लिए आपके सहयोग और सम्बल की महती आवश्यकता है। आपका भरपूर सहयोग ही महाविद्यालय को विकास की मजबूती प्रदान करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आप सबका नए सत्र में पुनः-पुनः स्वागत करता हूँ। बधाई देता हूँ।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ओबरा सोनभद्र

आवेदन से पूर्व...ध्यान दें

01. अभ्यर्थी ने जिस संकाय में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा स्नातक में जिस संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण की है स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में उन्हीं संकायों में प्रवेश पर विचार किया जायेगा। अन्य संकाय के अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन करने से पूर्व भली प्रकार से सोच विचार कर लें तभी फार्म ऑनलाईन भरें।
02. समस्त नियमों का सावधानीपूर्वक ध्यान से अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करें। सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार होने पर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें। हम आपकी किसी भी शर्त को उदण्डता समझेंगे एवं अनुशासनहीनता को किसी स्तर पर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे।
03. किसी प्रकार की शिकायत, सुझाव एवं संशय के निवारण के लिए छात्र शिकायत प्रकोष्ठ में अपने अभिभावक / संरक्षक के साथ मिलें। यदि आपकी समस्या, सुझाव, शिकायत पर यह प्रकोष्ठ ध्यान नहीं देता है, आपके हितों की अनदेखी करता है तभी अन्तिम विकल्प के रूप में प्राचार्य से सम्पर्क करें पर, आपके अभिभावक का आपके साथ होना आवश्यक है।
04. अपनी शिकायतों, समस्याओं, सुझावों आदि के लिए केवल प्रस्तर दो में वर्णित समिति के सदस्यों से ही सम्पर्क करें। किसी छात्र / छात्रा / बाहरी व्यक्ति की मदद कदापि न लें अन्यथा आपके दुरुपयोग की पूरी सम्भावना है। इसके लिए आपका प्रवेश तक निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए महाविद्यालय परिवार उत्तरदाई नहीं होगा। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है।

आज्ञा से
प्राचार्य

पाठ्य - विषय

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर NEP 2020 के अनुसार सेमेस्टर/ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है :-

(क) बी0ए0 के लिए (वैकल्पिक विषय)

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास
5. राजनीति शास्त्र
6. अर्थशास्त्र
7. समाजशास्त्र
8. शारीरिक शिक्षा

कला-संकाय में प्रवेशार्थियों हेतु विषय-पुन्जों का विवरण-

कला-संकाय में आवेदन करने वाले समस्त प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि NEP 2020 के अनुसार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है-

1. समाज विज्ञान संकाय
2. मानविकी/ भाषा विज्ञान संकाय

1. समाज विज्ञान संकाय:- इस संकाय में चार विषय हैं-

- (क) समाजशास्त्र
- (ख) राजनीतिशास्त्र
- (ग) अर्थशास्त्र
- (घ) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

2. मानविकी/ भाषा विज्ञान संकाय:- इस संकाय में चार हैं-

- (क) हिन्दी
- (ख) अंग्रेजी
- (ग) संस्कृत
- (घ) शारीरिक शिक्षा

बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विषय चयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश:-

1. कोई भी प्रवेशार्थी बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु विषय चयन करते समय यह ध्यान रखेगा कि तीनों मुख्य विषयों में से सामाजिक विज्ञान संकाय के चार विषयों- (i) समाजशास्त्र, (ii) राजनीतिशास्त्र, (iii) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, (iv) अर्थशास्त्र में से एक साथ कोई दो विषय ही ले सकता है, तीसरा विषय उसे भाषा/ मानविकी संकाय के चारों विषयों- (i) हिन्दी, (ii) अंग्रेजी, (iii) संस्कृत, (iv) शारीरिक शिक्षा में से कोई एक लेना होगा।
2. मानविकी एवं भाषा विज्ञान संकाय के चारों विषयों के समूह में से एक साथ तीनों मुख्य विषय लिये जा सकते हैं लेकिन भाषा के तीनों विषय नहीं होने चाहिए, जैसे हिन्दी, संस्कृत

एवं अंग्रेजी एक साथ नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में माइनर इलेक्टिव विषय दूसरे संकाय से लेना होगा।

3. विषय चयन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि निम्नांकित विषय युग्मों में से कोई एक विषय ही लिया जा सकता है-
 - समाजशास्त्र अथवा शारीरिक शिक्षा में से कोई एक
 - राजनीति शास्त्र अथवा हिन्दी में से कोई एक
 - अर्थशास्त्र अथवा अंग्रेजी में से कोई एक
 - मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास अथवा संस्कृत में से कोई एक
4. विषय आवंटन पूरी तरह से उस विषय में उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। सम्बन्धित विषय में सीट रिक्त रहने एवं विषय आवंटन हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार ही प्रवेशार्थी को विषय आवंटित किया जा सकेगा। सम्बन्धित विषय में सीट रिक्त न रहने पर प्रवेशार्थी को उपलब्ध विषयों में निर्धारित शर्तों के अनुसार दूसरा विषय आवंटित किया जा सकता है। यह पूर्णतः प्रवेश समिति के निर्णयाधीन होगा।
5. बी.ए. तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राएं बी.ए. प्रथम वर्ष में लिए गये तीनों विषयों में से निम्नांकित विषयों में से कोई एक विषय ही ले सकेंगे। बी.ए. तृतीय वर्ष में कुल दो विषय ही लेना होगा-
 - राजनीतिशास्त्र अथवा हिन्दी में से कोई एक विषय
 - समाजशास्त्र अथवा शारीरिक शिक्षा में से कोई एक विषय
 - मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास अथवा संस्कृत में से कोई एक विषय
 - अर्थशास्त्र अथवा अंग्रेजी में से कोई एक विषय

(ख) बी0एस0सी0 के लिए (वैकल्पिक विषय)

(अ) गणित वर्ग-

1. भौतिक विज्ञान
2. गणित
3. रसायन विज्ञान

(ब) जीव विज्ञान वर्ग-

1. वनस्पति विज्ञान
2. प्राणि विज्ञान
3. रसायन विज्ञान

(ग) बी0काम0 के लिए-

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी प्रश्न-पत्र पढ़ना अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.ए.)

1. हिन्दी
2. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
3. समाजशास्त्र
4. राजनीति विज्ञान
5. अर्थशास्त्र

स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.एस-सी.)

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. प्राणि विज्ञान

स्नातकोत्तर स्तर पर एम.कॉम-

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी प्रश्न-पत्र पढ़ना अनिवार्य है।

सामान्य नियम एवं निर्देश

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें-

1. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक-पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. अन्य शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
4. अन्तिम विद्यालय / महाविद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।
5. (अ) अन्तिम विद्यालय / महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (सी.सी.) की मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।
(ब) अर्ह परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष तक के अन्तराल वाले अभ्यर्थी को 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी का प्रदत्त शपथ पत्र तथा अन्तराल समय का किसी राजपत्रित अधिकारी / एम.पी. / एम.एल.ए. / एम.एल.सी./ नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति
6. खेल निदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र की प्रति।
7. (अ) एन.सी.सी. के 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(ब) एन.एस.एस. के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
(स) स्काउट गाइड / रोवर / रैंजर्स के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
8. यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री / पौत्र हो, तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
9. यदि राजकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय उ.प्र., क्षेत्रीय कार्यालय उ.शि. में कार्यरत किसी कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / भाई / बहन हो, तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
10. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो नवीनतम जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जो 'आर्थिक रूप से कमजोर' (EWS) हैं उन्हें कमजोर वर्ग का लाभ तभी मिलेगा जब वे आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12. दिव्यांग का प्रमाण-पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त)- दिव्यांगता प्रतिशत 60% या 60% से अधिक
13. विस्थापन का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि विस्थापित हों।
14. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री / नाती / पौत्र के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

टिप्पणी-

1. आवेदन पत्र के साथ अधिभार / आरक्षण पाने के लिए सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति लागाना अनिवार्य है। इसके अभाव में अभ्यर्थी को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। शुल्क मुक्ति में छूट प्राप्ति हेतु भी आरक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

01. कला वर्ग में प्रवेश हेतु इण्टर उत्तीर्ण कला वर्ग के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा।
स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य वर्ग यथा-वाणिज्य, विज्ञान एवं व्यावसायिक वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।
02. इण्टरमीडिएट / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल (गैप) होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ-पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ-पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अन्तराल वर्ष के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी / एम.पी. / एम.एल.ए. / एम.एल.सी. / नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
03. स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का एक वर्ष का अन्तराल होने पर प्राप्त प्राप्तांकों में से 5% व दो वर्ष का अन्तराल होने पर 10% अंकों की कटौती कर मेरिट बनायी जायेगी।
04. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अर्ह प्रवेशार्थियों के प्रवेश के उपरान्त स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।
05. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा किसी भी कारण से परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में या संकाय बदल कर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। तथ्य छुपाकर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।
06. स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में संस्थागत छात्र / छात्राओं को ही आरक्षण नियमों का ध्यान में रखकर प्रवेश दिया जायेगा।
07. शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
08. बी.ए, बी.काम. तथा बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना न्यूनतम अर्हता है, जिसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जायेगा। सीट की उपलब्धता के आधार पर मेरिट के क्रम से नियमानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।
09. बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सर्वप्रथम प्रवेश दिया जायेगा। सीट रिक्त होने की दशा में इण्टरमीडिएट अर्थशास्त्र / गणित / वाणिज्यिक विषयों से उत्तीर्ण व्यावसायिक वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
10. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आंकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित उस वर्ष का शपथ पत्र बनवा कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगी।

11. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण वाले अर्ह प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता पर स्थान रिक्त होने पर ही विचार करना सम्भव हो सकेगा।
12. (अ) संकाय अथवा विषय बदल कर स्नातकोत्तर कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा एक बार विद्यार्थी उत्तीर्ण कर चुका है तथ्य छुपाकर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क भी वापस नहीं होगा।
(ब) किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले (किसी भी कारण से) विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य विषय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आरक्षण के नवीनतम नियमों का पालन किया जायेगा।
14. (क) स्नातकोत्तर कक्षा के हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, एवं अर्थशास्त्र विषयों में से प्रत्येक में पूर्वाद्ध में शासन द्वारा केवल 60 / 60 स्थान उपलब्ध है।
(ख) एम0एस0-सी0 (भौतिक, रसायन विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान में प्रत्येक में मात्र 30 के स्थान के लिए) में प्रवेश के लिए बी.एस-सी. उत्तीर्ण होना न्यूनतम अर्हता है, किन्तु न्यूनतम अर्हता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उन्हें प्रवेश प्राप्त हो ही जायेगा। समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट बनाने पर साक्षात्कार पश्चात् / श्रेष्ठताक्रम में निर्धारित सीटें भरी जायेंगी।
(ग) एम.ए. में प्रवेश के लिए बी.ए. में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उत्तीर्णता के आधार पर योग्यता क्रम में प्रवेश पर विचार किया जायेगा, किन्तु उत्तीर्णता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उन्हें प्रवेश प्राप्त हो ही जायेगा। समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट बनाने पर साक्षात्कार पश्चात् / श्रेष्ठताक्रम में निर्धारित सीटें भरी जायेंगी।
(घ) स्नातकोत्तर में मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के विषय के अभ्यर्थियों से सीट रिक्त रहने पर ही बी.ए. प्राचीन इतिहास के अभ्यर्थियों का एम.ए. (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) में प्रवेश लिया जा सकेगा।
(ङ.) अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों से सीट रिक्त होने पर वाणिज्य स्नातक के अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जा सकेगा।
15. इस महाविद्यालय / अन्य राजकीय महाविद्यालय / उच्च शिक्षा निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी / कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी तथा सगे भाई-बहन को अनिवार्य न्यूनतम अर्हता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
16. प्रवेशार्थी सोच-विचार कर विषयों का चयन करें। प्रवेश के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
17. अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अथवा अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित रहने वाले छात्र / छात्रा को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
18. जिस छात्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त हुआ हो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
19. अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कार्यों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा किया हुआ शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।
20. बिना कारण बताए प्राचार्य को कोई भी प्रवेश अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

21. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली 1973 की अनुसूची 8 की धारा 45, के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र / छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।
22. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय को प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
23. योग्यता अनुक्रमणीय वरीयता क्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
24. स्नातक परीक्षा संस्थागत रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा।
25. एम.ए. / एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध में प्रवेश बी.ए. / बी.एस.-सी. अन्तिम वर्ष में लिये गये दो विषयों में से किसी एक विषय में ही दिया जायेगा।
26. अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या त्रुटिपूर्ण कारणों से हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा किया हुआ शुल्क आदि भी वापस नहीं किया जायेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार्य नहीं होगा।
27. यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश के समय समस्त वांछित मूल-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
28. स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणी की संरचना : इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक + अधिभार का अंक के आधार पर होगी।
29. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भी केन्द्र / राज्य सरकार के स्थानान्तरित कर्मियों के पुत्र / पुत्रियों को प्रवेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. अनुशासन / कार्यव्यवहार / अभद्र आचरण / हिंसक गतिविधि / अराजकता शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले कार्य / धरना प्रदर्शन / भूख हड़ताल आमरण अनशन / अनशन आदि के सन्दर्भ में कम्पनी एबार्टेशन एक्ट 1831 को ही आधार माना जाएगा तथा इसके लिए प्रमुख सचिव उच्चशिक्षा / जिलाधिकारी सोनभद्र की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियम 17 के तहत कार्यवाही करके तत्काल निष्कासन आदेश प्रभावी होगा।
31. निष्कासन सम्बन्धी प्रकरणों में पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। निष्कासन-आदेश महाविद्यालय कार्यालय से जारी होते ही प्रभावी होगा। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय को (माननीय सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) सुनवाई का अधिकार नहीं है।

प्रवेश चयन समिति

मेरिट लिस्ट महाविद्यालय की [वेबसाईट www.gpgcobra.ac.in](http://www.gpgcobra.ac.in) पर अपलोड कर दी जायेगी। काउंसलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने वाले सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा समितियां गठित की जायेगी, जो प्रवेशार्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्देश प्रदान करेगी तथा तदनुसूचित साक्षात्कार करेगी एवं मूल प्रमाण-पत्रों से जाँच करेगी। साक्षात्कार हेतु प्रवेशार्थी को सभी संलग्नकों के मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश चयन समिति प्रवेशार्थियों का साक्षात्कार करके अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगी। साक्षात्कार के समय अपने अभिभावक / संरक्षक को अपने साथ लाना होगा अन्यथा प्रवेश पर विचार नहीं होगा। सूची के प्रकाशन बाद यदि कोई प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी अभ्यर्थना स्वतः समाप्त हो जाएगी और उससे अगली मेरिट वाले अभ्यर्थी को प्रवेश देते हुए उसका अभ्यर्थन दावा निरस्त कर दिया जायेगा।

साक्षात्कार से एक सप्ताह के अन्दर महाविद्यालय द्वारा निर्धारित बैंक में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। ऐसा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। वे बिना कारण बताये प्रवेश अस्वीकृत कर सकते हैं। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी के स्थान पर प्रवेश कर लिया जाएगा तथा पूर्व में चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थना स्वतः समाप्त हो जाएगी।

अधिभार

- 1) ओबरा से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 10 अंक
- 2) क्रीड़ा से सम्बन्धित
 - a) विद्यालय के माध्यम से मण्डलीय / राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 05 अंक
 - b) विद्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 15 अंक
- 3) एन.सी.सी. से सम्बन्धित
 - a) प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण-पत्र धारकों के लिए 05 अंक
 - b) 'बी' प्रमाण-पत्र धारक के लिए 10 अंक
 - c) 'सी' प्रमाण-पत्र धारक के लिए 15 अंक
- 4) स्काउट गाइड सम्बन्धित
 - a) मण्डलीय प्रमाण-पत्र धारक के लिए 05 अंक
 - b) जनपदीय रैली सहभागिता 02 अंक
- 5) राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय / राष्ट्रस्तरीय खिलाड़ी को खेल निदेशालय से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक

विशेष-

- 1) अधिभार की अधिकतम सीमा 20 अंकों की ही होगी।
- 2) बी.ए. / बी.काम. प्रथम या द्वातीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण होने पर संस्थागत के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 3) भूतपूर्व छात्र / छात्रा को अगली कक्षा में संस्थागत के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है।

एम.ए. / एम.एस-सी. (पूर्वाद्ध) में प्रवेश के लिए तैयार की जाने वाली योग्यता अनुक्रमणिका

अधिभार

अन्य प्रमाण पत्र धारकों को निम्नलिखित अधिभार दिया जायेगा।

- 1) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु 10 अंक
- 2) क्रीड़ा से सम्बन्धित-
 - a) अन्तरमहाविद्यालयी खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर 01 अंक
 - b) अन्तरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में भाग लेने पर 02 अंक
(परन्तु अधिकतम 02 अंक देय होगा)
- 3) एन.सी.सी. से सम्बन्धित-
 - a) प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण पत्र धारकों के लिए 01 अंक
 - b) 'बी' प्रमाण पत्र धारकों के लिए 01 अंक
 - c) 'सी' प्रमाण पत्र धारकों के लिए 02 अंक
(परन्तु अधिकतम 02 अंक देय होगा)

4) एन.एस.एस. से सम्बन्धित-

- a) 2 वर्ष की सदस्यता एवं एक विशेष 7 दिवसीय शिविर पर 01 अंक
b) 2 वर्ष की सदस्यता एवं दो विशेष 7 दिवसीय शिविर पर 02 अंक
(परन्तु अधिकतम 02 अंक देय होगा)

5) रोवर्स- क्ल / रेन्जर्स से सम्बन्धित-

- a) प्रवीण / निपुण प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र धारक के लिए 01 अंक
b) जनपदीय रोवर्स / रेंजर्स रैली सहभागिता 01 अंक
c) विश्वविद्यालय समागम सहभागिता 01 अंक
d) प्रादेशिक समागम सहभागिता 02 अंक
(परन्तु अधिकतम 02 अंक देय होगा)

6) विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिए-

विशेष- प्रतिबन्ध यह कि अधिभार 2,3,4,5 एवं 6 की अधिकतम सीमा 04 अंक होगी।

टिप्पणी- आवेदन पत्र एक बार जमा हो जाने पर महाविद्यालय की वस्तु माना जायेगा उसे वापस नहीं किया जायेगा। **चरित्र प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मूल रूप में जमा करें।** किसी भी प्रकार के अधिभार का लाभ प्राप्त करने अथवा किसी अन्य प्रकार की सुविधा का लाभ पाने के लिए सम्बन्धित प्रमाणपत्र की छायाप्रति जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर इसे मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की दशा में प्रवेश निरस्त करते हुए लाभ से वंचित कर दिया जाएगा इसके लिए बाद में कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा। सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न करें। **दूसरे विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को माईग्रेशन प्रमाणपत्र जमा करना होगा। काशनमनी की धनराशि महाविद्यालय छोड़ने के तीन माह बाद वापस की जा सकती है।** इसके लिए महाविद्यालय कार्यालय से उचित प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन करना होगा। काशनमनी लौटाने की कार्यवाही प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के बाद होगी।

शुल्क मुक्ति सम्बन्धी नियम

शिक्षा संहिता के नियमानुसार निर्धन एवं मेधावी छात्र / छात्राओं को ही शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर निश्चित अवधि के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। छात्र / छात्राओं को चाहिए कि वे वांछित सूचनाओं को विश्वसनीय प्रमाण-पत्रों सहित दे। जिससे उनकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्णय लेने में असुविधा न हो। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी, जब कि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषजनक तथा आचरण उत्तम हो, अन्यथा उन्हें शुल्क मुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दिसम्बर तक 75 प्रतिशत से कम रहेगी, उनको शुल्क मुक्ति साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति लेकर आना आवश्यक है। यदि पहले शुल्क मुक्ति प्राप्त हुई हो तो उसका भी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लेकर आना आवश्यक है।

प्रवेश प्राप्ति के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के मुख्यशास्ता से हस्ताक्षर युक्त परिचय पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र पर प्रवेशार्थी अपने नवीनतम फोटोसहित प्रस्तुत करेगा।

पुस्तकालय तथा बुक बैंक-

1. विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अबाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने की व्यवस्था है। पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस को 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा। छात्रों को 11 बजे से 3 बजे तक पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। पुस्तकों की संख्या को देखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विवेकानुसार छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या तथा पुस्तक वितरण तिथि निर्धारित करेंगे। पुस्तकें निर्गत तिथि से 15 दिन के अन्दर वापस जायेगी। सामान्यतया एक छात्र को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें निर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में बुक बैंक की भी व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को पूरे सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती हैं।
2. पुस्तकालय एवं बुक बैंक से प्राप्त पुस्तकों की वापसी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पूर्व होना अनिवार्य है। सम्प्रति महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का पद लोकसेवा आयोग से नियुक्ति तक रिक्त रहेगा इस सन्दर्भ में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

छात्रवृत्ति-

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु 75% उपस्थिति आवश्यक है। अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में से केवल एक ही छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें।

सामान्य वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। विकलांग छात्र-छात्रा जिस वर्ग का है उसे उसी वर्ग में छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होता है। इसके लिए पूर्ण विवरण कार्यालय से प्राप्त करें। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आय एवं जाति का प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा को ओबरा के किसी बैंक का अपना खाता संख्या देना अनिवार्य होगा। खाता संख्या न देने पर छात्रवृत्ति प्रदान करना संभव नहीं होगा। बैंक खाता संख्या का आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार भी मोबाइल से लिंक होना चाहिए।

अभ्यर्थी को अन्य छात्रवृत्तियों के लिए सूचना पट्ट पर लगी सूचना देखते रहना चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही भरें। छात्रवृत्ति का फार्म भरना, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना समय से जमा करना छात्र-छात्रा की जिम्मेदारी है। विलम्ब की दशा में महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

पाठ्येतर कार्य - कलाप

ई-लर्निंग पार्क-

प्री-लोडेड टैबलेट-

क्रीड़ा परिषद-

मानसिक विकास के साथ-साथ छात्र / छात्राओं के शारीरिक शक्ति एवं क्षमताओं का समुचित विकास भी अत्यावश्यक होता है। स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर में ही स्वस्थ एवं पुष्ट मस्तिष्क का निवास होता है। क्रीड़ा के द्वारा परस्पर मेल-जोल, सहयोग, भ्रातृत्व प्रेम एवं स्पर्धाओं को स्वीकार करने की भावना विकसित होती है। क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती है। महाविद्यालय में हाकी, क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल, बैडमिण्टन, कबड्डी, टेबुल टेनिस तथा कैरम इत्यादि खेलों से सम्बन्धित सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाविद्यालय का विशाल परिसर तथा विभिन्न क्रीड़ाओं के मैदान खेल-कूद के लिए बहुत उपयोगी हैं। महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें 100मी., 200मी., 400मी., 800मी., 1500मी., 5000मी., 1000मी., की दौड़, लम्बी कूद, उँची कूद, त्रिकूद, चक्र-प्रक्षेप, रिले रेस, हैमर थ्रो तथा पोलवाल्ट इत्यादि प्रतियोगिता में सम्पन्न होती हैं, जिसमें अपने-अपने वर्ग की प्रतियोगिताओं में छात्र / छात्राएं भाग लेती हैं। स्थान प्राप्त प्रतियोगी को पुरस्कृत, किया जाता है। चैम्पियन छात्र / छात्रा को वार्षिक समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय पत्रिका : दीपशिखा का प्रकाशन महाविद्यालय की ओर से वार्षिक पत्रिका "दीपशिखा" का प्रकाशन होता है, जिसका मूल उद्देश्य छात्र / छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है। सूचना निर्गत करके प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री, कहानी, कविता, लेख एवं निबन्ध इत्यादि छात्र / छात्राओं से आमंत्रित करते हैं।

रोवर-क्रू एवं रेंजर दल-

इण्टरमीडिएट स्तर पर जिसे स्काउट / गाइड कहते हैं, उसे ही महाविद्यालय स्तर पर रोवर / रेंजर कहते हैं। महाविद्यालय में छात्रों के लिए रोवर-क्रू तथा छात्राओं के लिए रेंजर टीम कार्यरत है, जिसमें 17 से 25 वर्ष की अवस्था के छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं। रोवर-क्रू एवं रेंजर दल का उद्देश्य छात्र / छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम सहयोग, भ्रातृत्व, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है, जिससे इसके आदर्श वाक्य 'सेवा करो' को साकार किया जा सके। एक रोवर / रेंजर दल में 24 सदस्य होंगे। इसके तत्वाधान में वर्ष पर्यन्त अनेक कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं।

एन.सी.सी.-

महाविद्यालय में छात्र / छात्राओं के लिए एन.सी.सी. की सुविधा उपलब्ध है। एन.सी.सी. की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में चरित्र निर्माण, मैत्री भाव तथा देश सेवा की भावना पैदा करना है। प्रतिवर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के कुछ छात्र / छात्राएं विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के तहत चुने जाते हैं, एन.सी.सी. के कैंडेट होते हैं। कैंडेटों की उपस्थिति 85 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

एन.सी.सी. के अन्तर्गत आर्मी प्रशिक्षण दिया जाता है। 'बी' प्रमाण पत्र में सम्मिलित होने के लिए दो वर्ष के एन.सी.सी. ट्रेनिंग, एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होना तथा दोनों ही वर्षों में अलग-अलग 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 'बी' प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 85 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तीन वर्ष की एन.सी.सी. ट्रेनिंग प्राप्त करना तथा कम से कम 2 वार्षिक प्रशिक्षण शिविर करना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सेवा योजना- महाविद्यालय में एन.एस.एस. की तीन इकाईयां हैं, जिसमें 300 छात्र / छात्राओं का पंजीकरण होता है। जनजागृति एवं सामाजिक सेवा में रुचि रखने वाले छात्र एवं छात्राएं पंजीकरण की सूचना जारी होने पर सदस्यता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

एन.एस.एस. में दो वर्ष का अविच्छिन्न सदस्यता तथा सप्त दिवसीय शिविर में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेवियों को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिस पर कई प्रवेश परीक्षाओं में अधिभार अंक निर्धारित है।

विभागीय परिषद- महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग की अपनी परिषद् है, जिसमें विभाग स्तर पर चुने गये छात्र-छात्रा प्रतिनिधियों के माध्यम से अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। छात्र-छात्राओं की वाकशक्ति, तर्कशक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के पल्लवन में इन परिषदों का विशेष योगदान रहता है। कलात्मक अभिरुचि के छात्र-छात्रा का इस मंच का प्रयोग अपनी बहुमुखी प्रतिभा के विकास में कर सकते हैं।

वाद-विवाद, नाट्य एवं सांस्कृतिक परिषद- इसका गठन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। सत्र भर इसके तत्वाधान में प्रतियोगितायें, नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रसार व्याख्यान माला- इसके अन्तर्गत विभिन्न विद्वानों एवं विशेषज्ञों के व्याख्यान कराये जाते हैं, जिससे छात्र / छात्राओं का ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी नवीनतम उपलब्धियों का ज्ञानार्जन होता है।

छात्रसंघ- महाविद्यालय में शासन / विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार छात्रसंघ का निर्वाचन लिंगदोह की संस्तुतियों व समिति के नियमों एवं अन्य नियमों के अधीन कराया जाता है।

साइकिल स्टैण्ड- छात्र / छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था है। साइकिल स्टैण्ड पर साइकिल रखने वाले छात्र / छात्राओं को रु. 30 /- वार्षिक शुल्क देना होगा। साइकिल स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र साइकिल नहीं रखी जा सकती है।

अनुशासन मण्डल- महाविद्यालय में अनुशासन मण्डल है, जो महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने एवं विभिन्न कार्यकलापों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान करता है। मुख्य शास्ता के साथ अनुशासन मण्डल का मनोनयन प्राचार्य द्वारा किया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में शास्तामण्डल का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा। महाविद्यालय की समस्त सुविधाओं या समितियों आदि में लाभ केवल अनुशासित छात्रों / छात्राओं को ही मिलेगा यदि कोई भी अनुशासनहीनता मिलती है तो सम्बन्धित छात्र / छात्रा को ऐसे लाभ से तत्काल वंचित कर दिया जाएगा। इसके विरुद्ध कोई अपील किसी स्तर पर किसी भी दशा में नहीं सुनी जाएगी।

छात्रावास- महाविद्यालय में अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्रों के लिए हास्टल की भी सुविधा है। जो महाविद्यालय के प्रांगण में पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ भू-तल पर कुल 08 कमरे व प्रथम तल पर कुल 09 कमरे हैं। हास्टल में बिजली की सुविधा है। यहाँ के कमरे साफ-सुथरे व हवादार हैं। यह हास्टल जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2012 में निर्मित कराया गया था।

प्राध्यापक वर्ग (सत्र 2022-23)

कला संकाय-

1. डॉ० राधाकान्त पाण्डेय – प्रोफेसर – संस्कृत
2. श्रीमती मीरा यादव - असिस्टेंट प्रोफेसर – शारीरिक शिक्षा
3. डॉ० सन्तोष कुमार सैनी – असिस्टेंट प्रोफेसर – मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
4. श्री राजेश प्रसाद – असिस्टेंट प्रोफेसर – समाजशास्त्र
5. डॉ० विनोद बहादुर सिंह – असिस्टेंट प्रोफेसर – राजनीति शास्त्र
6. रिक्त – रिक्त – राजनीति शास्त्र
7. डॉ० अमूल्य कुमार सिंह – असिस्टेंट प्रोफेसर – अर्थशास्त्र
8. डॉ० रंजीत सिंह – असिस्टेंट प्रोफेसर – हिन्दी
9. श्रीमती बीना यादव – असिस्टेंट प्रोफेसर – हिन्दी
10. रिक्त – रिक्त – अंग्रेजी

विज्ञान संकाय-

1. डॉ० किशोर कुमार सिंह – प्रोफेसर – रसायन विज्ञान
2. रिक्त – रिक्त – रसायन विज्ञान
3. रिक्त – रिक्त – रसायन विज्ञान
4. डॉ० महीप कुमार – असिस्टेंट प्रोफेसर – वनस्पति विज्ञान
5. श्रीमती वैशाली शुक्ला – असिस्टेंट प्रोफेसर – वनस्पति विज्ञान
6. श्री उपेन्द्र कुमार – असिस्टेंट प्रोफेसर – गणित
7. रिक्त – रिक्त – गणित
8. डॉ० विजय प्रताप यादव – असिस्टेंट प्रोफेसर – भौतिक विज्ञान
9. डॉ० नीरज सिंह – असिस्टेंट प्रोफेसर – भौतिक विज्ञान
10. रिक्त – रिक्त – जन्तु विज्ञान
11. रिक्त – रिक्त – जन्तु विज्ञान
12. रिक्त – रिक्त – जन्तु विज्ञान
13. रिक्त – रिक्त – जन्तु विज्ञान

वाणिज्य संकाय-

1. डॉ० प्रमोद कुमार – प्रोफेसर – वाणिज्य
2. डॉ० सुनील कुमार – असिस्टेंट प्रोफेसर – वाणिज्य
3. डॉ० विकास कुमार – असिस्टेंट प्रोफेसर – वाणिज्य
4. डॉ० विभा पाण्डेय – असिस्टेंट प्रोफेसर – वाणिज्य

कर्मचारी वर्ग (सत्र 2022-23)

1. श्री प्रमोद कुमार केशरी – कार्यालय अधीक्षक
2. श्री विकास कुमार – कनिष्ठ सहायक
3. श्री धर्मन्द्र कुमार – कनिष्ठ सहायक
4. श्री अरूण कुमार – प्रयोगशाला परिचारक

छात्र

- हल्का आसमानी रंग का शर्ट
- काला पैन्ट
- स्वेटर / ब्लेजर नैवी ब्लू

छात्रा

- हल्का आसमानी रंग का कुर्ता
- सफेद सलवार एवं दुपट्टा
- स्वेटर / ब्लेजर नैवी ब्लू